रामगढ़ बांध के बहाव क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की मांग

जयपुर। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुभाष चंद्र यादव ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र भेजकर रामगढ़ बांध के बहाव क्षेत्र, नालों, चारागाह और अन्य सरकारी भूमि से जुड़े कथित अतिक्रमणों की उच्चस्तरीय जांच कराने तथा राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने की मांग की है।

यादव ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से रामगढ़ बांध के पुनर्जीवन और जल संरक्षण के लिए चलाया जा रहा अभियान जयपुर की जल सुरक्षा और पर्यावरण के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ऐसे में यदि किसी संस्था, व्यक्ति या समूह की ओर से सरकारी भूमि, नालों अथवा बहाव क्षेत्र में किए गए कथित अतिक्रमण पुनरुद्धार कार्य में बाधा बन रहे हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

रामगढ़ बांध के कैचमेंट क्षेत्र में अतिक्रमण और निर्माण को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट पहले भी विभिन्न आदेश जारी कर चुका है। न्यायालय ने कैचमेंट क्षेत्र में अतिक्रमण रोकने और सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं। अगस्त 2026 में भी हाईकोर्ट ने रामगढ़ बांध के कैचमेंट क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अतिक्रमणों को लेकर सूची प्रकाशित करने और कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए थे।

यादव ने एनआईएमएस संस्थान से जुड़े भूमि और निर्माण संबंधी मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन मामलों को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। उन्होंने उपलब्ध राजस्व अभिलेखों, प्रशासनिक रिकॉर्ड और न्यायालय में प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर मामलों की समीक्षा कर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की।

खोया पाया

मेरे प्लाट नम्बर 14 (उत्तरी भाग), योजना गोविन्द एनक्लेव, बड़ारमा कालवाड रोड, जयपुर का मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मैसर्स श्री विनायक बिल्डर्स बहक पुष्पा कुमारी दिनांकित 06.03.2025 जयपुर में कहीं खो गया। पुलिस कम्पलेन्ट राजस्थान पुलिस में LR No. 3280407/2026 दिनांक 14.09.2026 को ऑनलाईन कराई गई है। मिलने पर सूचित करें। पुष्पा कुमारी- 9351212500

मेरे मकान संख्या 118/95 मानसरोवर, जयपुर का मूल पजेशन लैटर कही गुम हो गया है। मिलने पर सूचित करें- दिनेश कुमार गोस्वामी- 9928339314

आवास संख्या 10/47 मानसरोवर जयपुर का मूल कार्यालय आदेश गिर/गुम हो गया मिलने पर सूचित करे। लता आडवानी मो. 9413803859

मेरा नेशनल हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड द्वारा जारी किया गया मेरा ओरिजिनल रसीद प्लॉट नंबर 42 (बजरंग विहार, चोमू रोड, जैतपुरा) के लिए थी। जो कहीं खो गई

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम मोहिनी सैनी (MOHINI SAINI) पुत्री श्री बाबूलाल सैनी से बदलकर मोहनी (MOHANI) पत्नी श्री सत्यनारायण रख लिया है भविष्य में मुझे मोहनी (MOHANI) के नाम से जाना जावे। पता ढाणी डीडोरिया, मुरलीपुरा स्कीम, विश्वकर्मा इन्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर

मैं सीमा निरव शाह पत्नी निरव बी शाह निवासी युनिट नं. एफ-1, फर्स्ट फ्लोर, पी.एन.सी.9/624 पार्क लेन अपार्टमेन्ट चित्रकूट योजना, अजमेर रोड, जयपुर अपना नाम Vithlani Seema Arvindbhai से बदलकर सीमा नीरव शाह रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे।

मैं निरव बी शाह निवासी युनिट नं. एफ-1, फर्स्ट फ्लोर, पी.एन.सी. 9/624 पार्क लेन अपार्टमेन्ट चित्रकूट योजना, अजमेर रोड, जयपुर अपने पुत्र नाम NABHYA S/O NIRAV BIPINCHANDRASHAH से बदलकर नभ्य नीरव शाह रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे।

मैं निरव बी शाह पुत्र बिपिन भाई शाह निवासी युनिट नं. एफ-1, फर्स्ट फ्लोर, पी.एन.सी. 9/624 पार्क लेन अपार्टमेन्ट चित्रकूट योजना, अजमेर रोड, जयपुर अपना नाम शाह निरव बिपिनचन्द्र से बदलकर निरव बी शाह रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे।

मैंने अपना नाम श्री राजेन्द्रनाथ आनंद निगम से बदल कर आनंद निगम पुत्र श्री राजेन्द्र नाथ निगम, रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे। निवासी मन. 6/191, सेक्टर 6, विधाधर नगर, जयपुर

नम्बर मिलाइए 8890333139

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

ओजोन परत के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी : मुख्य सचिव

'बढ़ते तापमान और शीतलन की बढ़ती जरूरत के बीच तकनीकों एवं प्रणालियों को बढ़ावा देना जरूरी है'

विश्व ओजोन दिवस पर मुख्य सचिव ने जन जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया ।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक कवच है। इसके संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर किए गए प्रयास यह दर्शाते हैं कि विज्ञान आधारित नीतियों, प्रभावी क्रियान्वयन और सामूहिक भागीदारी के माध्यम से बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान संभव है।

उन्होंने कहा कि आज ओजोन संरक्षण को जलवायु परिवर्तन से जोड़कर देखने की आवश्यकता है। बढ़ते तापमान और शीतलन की बढ़ती जरूरत के बीच ऐसी तकनीकों एवं प्रणालियों को बढ़ावा देना जरूरी है, जो ऊर्जा की बचत के साथ पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव डालें। पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। विद्यार्थियों, युवाओं, शिक्षकों, उद्योग जगत, तकनीकी विशेषज्ञों और आमजन को पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों से जोड़कर ही व्यापक बदलाव लाया जा सकता है।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास आज बुधवार को सचिवालय में विश्व ओजोन दिवस पर राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी पोस्टर का विमोचन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के बाद से ही गंभीर प्रयास जारी है। ओजोन दिवस का संदेश केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे आमजन के दैनिक जीवन और व्यवहार का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

इस अवसर पर मौजूद राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अध्यक्षा अपर्णा अरोरा ने कहा कि

> **उन्होंने कहा कि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के बाद से ही गंभीर प्रयास जारी है। ओजोन दिवस का संदेश केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे आमजन के दैनिक जीवन और व्यवहार का हिस्सा बनाया जाना चाहिए**

ओजोन परत का संरक्षण केवल एक वैश्विक पर्यावरणीय दायित्व नहीं, बल्कि मानव स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से सीधे जुड़ा विषय है। वर्तमान में बढ़ते तापमान के कारण शीतलन की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है।

ऐसे में ऊर्जा दक्ष एवं पर्यावरण अनुकूल शीतलन तकनीकों को अपनाना समय की आवश्यकता है। अरोरा ने कहा कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के साथ-साथ जन-जागरूकता को भी प्राथमिकता दी जा रही है। उद्योगों एवं आमजन को पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अरोरा ने कहा कि ओजोन संरक्षण की सफलता हमें यह संदेश देती है कि जब सरकार, उद्योग और समाज एक साझा उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं, तो पर्यावरणीय बदलाव संभव है। पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को सफल बनाने के लिए आमजन की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। ऊर्जा की बचत, ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग, पर्यावरण अनुकूल शीतलन साधनों को प्राथमिकता तथा पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार अपना कर प्रत्येक नागरिक अपना योगदान दे सकता है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण आनंद कुमार ने कहा कि ओजोन संरक्षण वैश्विक पर्यावरणीय सहयोग की एक महत्वपूर्ण सफलता का उदाहरण है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और उसके तहत किए गए प्रयासों ने यह साबित किया है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं निरंतर प्रतिबद्धता के माध्यम से पर्यावरणीय चुनौतियों का प्रभावी समाधान किया जा सकता है। इस दौरान मैसर्स एसआरएफ लिमिटेड, भिवाड़ी के सहायक उपाध्यक्ष पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मुकेश किरार ने ओजोन परत का संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन में कमी विषय पर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के प्रभाव तथा उनके नियंत्रण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी साझा की। इस अवसर पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के मुख्य पर्यावरण अभियंता प्रेमालाल, विष्णु दत्त पुरोहित, मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी शीबा, अतिरिक्त पर्यावरण अभियंता भुवनेश माथुर सहित मंडल के अन्य अधिकारी, विशेषज्ञ, औद्योगिक प्रतिनिधि एवं प्रतिभागी मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों ने ओजोन परत के संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा पर्यावरण अनुकूल शीतलन तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर विचार साझा किए।

सरकार ने जिला प्रमुख पदों पर दिए ओबीसी आरक्षण को सही बताया

जयपुर। प्रदेश में जिला प्रमुख के पदों पर ओबीसी आरक्षण के निर्धारण से जुड़े मामले में राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में जवाब पेश किया गया है। जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रमुख के पदों पर ओबीसी वर्ग को उचित आरक्षण दिया गया है।

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता कपिल प्रकाश माथुर ने कहा कि ओबीसी आयोग ने डोर-टू-डोर सर्वे और जन आधार के उपलब्ध आंकडों का परीक्षण करने के बाद ही ओबीसी आरक्षण की सिफारिश की थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की ओर से 50 फीसदी की लिमिट तय होने से एससी, एसटी और ओबीसी को इस तय अनुपात में आरक्षण दिया गया है। एससी और एसटी को

> **'ओबीसी आयोग ने जन आधार के उपलब्ध आंकडों का परीक्षण करने के बाद ही ओबीसी आरक्षण की सिफारिश की थी '**

मिलाकर 15 सीटे आरक्षित रखी गई हैं। ऐसे में पचास फीसदी के अंदर सिर्फ पांच सीटें आती हैं, जिन्हें ओबीसी के लिए आरक्षित रखा गया। केवल ओबीसी जनसंख्या के अनुपात या जिला प्रमुख की सीटें बढने के आधार पर ओबीसी आरक्षण नहीं बढाया जा सकता। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि ओबीसी आयोग की सिफारिश पर यह आरक्षण दिया गया है, लेकिन याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में ओबीसी आयोग को ही पक्षकार नहीं बनाया। ऐसे में याचिका को खारिज किया जाए। याचिका में अधिवक्ता आनंद शर्मा ने बताया कि साल 2020 में जिला प्रमुखों के 33 पदों में से ओबीसी के लिए पांच सीटे आरक्षित रखी गई थी। अब जिला प्रमुखों के पद बढ़कर 41 हो गए हैं। इसके बावजूद ओबीसी वर्ग के लिए पूर्व की तरह पांच सीटे ही आरक्षित रखी गई हैं। याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय 50 फीसदी आरक्षण की संवैधानिक सीमा के भीतर रहते हुए ही जिला प्रमुख पदों पर ओबीसी आरक्षण की नए सिरे से पुनर्गणना की जाए और इस वर्ग को पंचायती राज व्यवस्था में उनका उचित व न्यायसंगत प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

किसानों को उनका हक समय पर देना हमारी प्राथमिकता : डॉ. किरोड़ी लाल

जयपुर। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित "अटल भूजल योजना" का क्रियान्वयन राज्य के 17 जिलों में 01 अप्रैल 2020 से किया जा रहा था। योजनान्तर्गत फार्म पौंड, सिंचाई पाइपलाइन, डिग्गी, कृषि यंत्र एवं फसल बदलाव मिनिकिट, फव्वारा, मिनी स्प्रिंकलर, ड्रिप आदि बनाये गये थे। भारत सरकार द्वारा 15 अक्टूबर 2025 के बाद योजना का क्रियान्वयन नही होने के कारण राज्य के किसानों की 158 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि का भुगतान शेष रह गया था जिसमें से कृषि विभाग की 90.91 करोड़ रुपये तथा उद्यानिकी विभाग 66.16 करोड़ रुपये की राशि शेष रह गयी। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार से इन लंबित दायित्वों के भुगतान हेतु कई बार गंभीर प्रयास किए। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, माननीय कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री, राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष, मुख्य सचिव द्वारा जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार से पत्राचार एवं

> **तीन वर्ष से लंबित अटल भूजल योजना की लंबित 156 करोड़ रूपये की देनदारियों का राज्य के किसानों को भुगतान**

प्रयास किए गए। परंतु राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति योजना देरी से जारी करने एवं केंद्र सरकार द्वारा 15 अक्टूबर 2025 के बाद योजना का कियान्वयन नही किये जाने के कारण अनुदान का भुगतान करने में असमर्थता जताई, ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा उदारता एवं किसानों के प्रति गहरी संवेदनशीलता दिखाते हुए इन देनदारियों का भुगतान राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से करने का निर्णय लिया। वित्त विभाग द्वारा अटल भूजल योजना अंतर्गत लंबित देनदारियों को "राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

रक्तदान शिविर आज

जयपुर। प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, गायत्री राठौड़ ने 17 सितम्बर को प्रदेशभर में रक्तदान शिविरों के आयोजन के संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी किए।

आम-सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाव्य श्री राजकुमार पारीक पुत्र श्री रामजीलाल पारीक, निवासी- प्लॉट नं.-15, दीप विहार, विष्णुवारी मार्ग, बेनाड रोड, झोटवाड़ा, जयपुर (राज.) - 302012 के पुत्र वैभव पारीक एवं पुत्रवधु श्रीमती टीना पारीक पत्नी वैभव पारीक मेरे अभिभाव्य से पिछले कुछ महिनो से अलग निवास कर रहे है तथा उनका व्यवहार मेरे अभिभाव्य, उसकी पत्नी एवं माता पिता से अच्छा नही होने, शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के कारण तथा मेरे अभिभाव्य एवं उसकी पत्नी व माता पिता को लगातार हैरान व परेशान करने व उनके कहने मे नही होने के कारण मेरे अभिभाव्य ने अपनी स्वअर्जित एवं विरासत मे मिली चल, अचल सम्पत्ति से उन्हे बेदखल कर दिया है उनके द्वारा किये गये किसी भी लेन देन व संव्यवहार की जिम्मेदारी मेरे अभिभाव्य की नही होगी। सूचित रहे।
(विमल शर्मा राजकुमार गौयल) एडवोकेट्स
मोबाईल : 9829017960, 9829189390

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक:3861 जाहिर आम-सूचना दिनांक: 16.09.2026
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 50/338 (EWS), (एरिया 52.20 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्रीमती कोशल्या देवी पत्नी श्री मदनेर सामवती को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 2173 दिनांक 31.12.1991 को जारी किया गया। श्रीमती ज्ञानवती सक्सेना पत्नी श्री देवेन्द्र प्रताप सक्सेना के पक्ष में उक्त आवास का नियमितिकरण पत्र क्रमांक 33/423 दिनांक 08.05.2002 के द्वारा किया गया। श्रीमती ज्ञानवती सक्सेना के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन पत्र दिनांक 24.09.2002 को उप पंजीयक-सांगानेर, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्रीमती ज्ञानवती सक्सेना की मृत्यु दिनांक 25.07.2013 को हो जाने के कारण शपथ पत्र, घोषणा-पत्र एवं क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र के आधार पर इनके पुत्र श्री अशोक सक्सेना पुत्र स्व. श्री देवेन्द्र प्रताप सक्सेना द्वारा उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही है, श्री अशोक सक्सेना पुत्र स्व. श्री देवेन्द्र प्रताप सक्सेना का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक :- 3868 दिनांक :- 16/09/26
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना मे आवास / प्लॉट संख्या 71/342(MIG-B) का आवंटन श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री मेहन सिंह को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 2070 दिनांक 18.03.1999 को जारी किया गया था। उनके पक्ष मे पंजीयन पत्रीनिष्पादन दिनांक 13.08.1999 को उप पंजीयक-सांगानेर, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाया गया। श्री प्रेम सिंह द्वारा उक्त आवास को 1. श्री सुनील कुमार चौधरी पुत्र श्री सांवल राम चौधरी एवं 2. श्री विजय कुमार शर्मा पुत्र श्री सुन्दर लाल शर्मा को दिनांक 15.05.2024 को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। 1. श्री सुनील कुमार चौधरी एवं 2. श्री विजय कुमार शर्मा द्वारा मुख्त्यारनामा आम को हैसियत से उक्त आवास का विक्रय पत्र श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री अजय कुमार चौधरी को हो जाने के पश्चात् आदेश क्रमांक 3758 दिनांक 03.09.2024 के द्वारा श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री अजय कुमार चौधरी के पक्ष मे नाम हस्तान्तरण कर दिया गया। श्रीमती गीता देवी द्वारा उक्त आवास को श्रीमती ममता पत्नी श्री सुरेश को विक्रय कर इनके पक्ष मे विक्रय पत्र दिनांक 05.09.2024 को उप पंजीयक-एकादश, जयपुर मे पंजीकृत करवाया गया। श्रीमती ममता पत्नी श्री सुरेश द्वारा आवासन मण्डल मे पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर मे अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय मे 7 दिवस मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड मे नाम दर्ज करने मे किसी को कोई आपत्ति नही है, श्रीमती ममता पत्नी श्री सुरेश का नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज.आवा.मण्डल, जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक :- 3867 दिनांक :- 16/09/26
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर योजना जयपुर मे मण्डल द्वारा अवाप्त भूमि के बदले मुआवजा स्वरूप 12 प्रतिशत आवासीय विकसित भूखण्ड संख्या 84/एफ क्षेत्रफल 614.00 वर्गमीटर का आवंटन का खातेदार श्री लादूराम पुत्र श्री दामोदर को किया गया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 1243 दिनांक 22.12.2005 को जारी किया गया था। तत्पश्चात श्री लादूराम की मृत्यु दिनांक 27.07.2019 को हो जाने के कारण उनके पुत्र 1. श्री धर्मसिंह मीणा, 2. श्री बिहारी लाल मीणा एवं 3. देवीलाल मीणा पुत्रान् स्व. श्री लादूराम द्वारा आवासन मण्डल मे रिकॉर्ड मे अपना नाम दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर इस कार्यालय के प्रतिस्थान पत्र क्रमांक 8784 दिनांक 24.12.2019 के द्वारा मण्डल रिकॉर्ड मे इनका नाम दर्ज किया गया। तत्पश्चात पुन: 1. श्री धर्मसिंह मीणा, 2. श्री बिहारी लाल मीणा एवं 3. देवीलाल मीणा के नाम से नवीनतम आवंटन पत्र क्रमांक 300 दिनांक 05.08.2021 को जारी किया गया जिसको दिनांक 16.08.2021 उप पंजीयक जयपुर (प्रथम) के यहां पंजीकृत करवाया गया। 1. श्री धर्मसिंह मीणा, 2. श्री बिहारी लाल मीणा एवं 3. देवीलाल मीणा द्वारा उक्त आवासीय विकसित भूखण्ड का विक्रय श्रीमती मीनू गुप्ता पत्नी श्री अंकित गोयल को दिनांक 26.08.2021 को जरिये विक्रय पत्र को उप पंजीयक (दशम) जयपुर के यहां पंजीकृत करवाया गया। ज्ञेती श्रीमती मीनू गुप्ता पत्नी श्री अंकित गोयल द्वारा आवासन मण्डल मे उक्त आवासीय विकसित भूखण्ड अपने नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवासीय विकसित भूखण्ड के नाम दर्ज करने बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय मे 7 दिवस मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा यह मानते हुए कि मण्डल रिकॉर्ड मे नाम दर्ज करने मे किसी को कोई आपत्ति नही है, श्रीमती मीनू गुप्ता पत्नी श्री अंकित गोयल का नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

तरुण समाज संस्था के अध्यक्ष विश्वम्भर मोदी का निधन

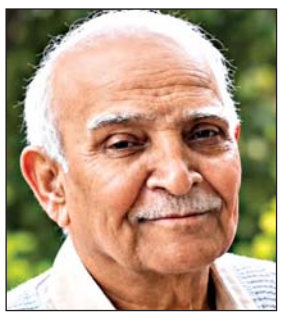

जयपुर। जयपुर के प्रसिद्ध तरुण समाज संस्था के अध्यक्ष और वरिष्ठ सांस्कृतिक व्यक्तित्व विश्वम्भर मोदी का निधन हो चुका है। उनके निधन पर साहित्य, कला और सांस्कृतिक जगत से जुड़े लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया। और उन्हें भावभीनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। विश्वम्भर मोदी पिछले 50 से भी अधिक वर्षों से जयपुर में ऐतिहासिक गीत चांदनी और महामूर्ख सम्मेलन जैसे विख्यात आयोजनों का नेतृत्व और संचालन कर रहे थे। उनके द्वारा स्थापित गीत चांदनी मंच राजस्थान के कवियों और साहित्यकारों के लिए एक मील का पत्थर माना जाता है। इस मंच के जरिए उन्होंने राजस्थान के गीत-ऋषि स्वर्गीय डॉ. ताराप्रकाश जोशी और विख्यात कवि स्वर्गीय कल्याण सिंह राजावत जैसी महान विभूतियों की स्मृतियों को हमेशा जीवंत रखा। अंतिम यात्रा आज सुबह 9:30 बजे निवास स्थान 47-48, "अनुकम्पा", शिवाजी नगर, सिविल लाइन्स, जयपुर से प्रस्थान कर लाल कोठी मोक्षधाम, जयपुर के लिए रवाना होगी।

उत्तर पश्चिम रेलवे

सूचना-शुद्धिपत्र संशोधन पत्र सं. 3

संदर्भ: RFP सूचना सं. NWR/SC/JU/26-27/EPC-II/01 दिनांक 14.08.2026, **कार्य का नाम:** उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर रेलवे स्टेशन के प्रमुख पुनर्विकास के शेष कार्यों का निष्पादन (इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन – EPC)। उपरोक्त RFP के संबंध में **शुद्धिपत्र संशोधन पत्र सं. 3 जारी किया गया है। उक्त शुद्धिपत्र में मुख्यतः अनुसूची-G के अंतर्गत भुगतान चरण के प्रतिशत भारांक में संशोधन, अनुसूची-Q के अंतर्गत वित्तीय बोली प्रस्तुत करने संबंधी संशोधन/स्पष्टीकरण तथा FOB/एयर कॉनकोर्स गर्डर्स के थर्ड पार्टी निरीक्षण (TPI) संबंधी प्रावधानों का समावेश** किया गया है। विस्तृत शुद्धिपत्र संशोधन पत्र सं. 3 **IREPS** वेबसाइट पर उपलब्ध है। सभी बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व विस्तृत शुद्धिपत्र का अवलोकन करने की सलाह दी जाती है। **मूल निविदा की अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।**

कृते मुख्य अभियंता/निर्माण/मुख्यालय
1341-DO/26 जयपुर

"नशा मुक्त पंजाब" यात्रा की तैयारियों में जुटी भाजपा

जयपुर। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने जमीनी स्तर पर अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं पंजाब-हरियाणा प्रभारी डॉ. सतीश पूनियां पंजाब के लगातार प्रवास पर हैं। वे अबोहर, फाजिल्का और पठानकोट सहित विभिन्न क्षेत्रों में पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और आमजन से संवाद कर रहे हैं। उनका फोकस 18 सितंबर से शुरू होने वाली भाजपा की 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' की तैयारियों और इसमें अधिकाधिक जनभागीदारी जुटाने पर है। भाजपा की ओर से 18 से 30 सितंबर तक पंजाब में चार चरणों में 'नशा मुक्त पंजाब यात्राएं' निकाली जाएंगी। पार्टी के मुताबिक यात्राएं राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों तक पहुंचेंगी और करीब 4 हजार किलोमीटर का सफर तय करेंगी।

यात्रा का पहला चरण 18 सितंबर को पठानकोट जिले के माधोपुर स्थित एकता स्थल से शुरू होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद अन्य तीन यात्राएं फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का और तलवंडी साबो से शुरू होंगी। पंजाब भाजपा के अनुसार

> **18 सितंबर को पठानकोट से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन करेंगे यात्रा का शुभारंभ, 30 सितंबर को जालंधर में अमित शाह की जनसभा**

अभियान का उद्देश्य नशे के खिलाफ जनजागरूकता बढ़ाने और इसे जनआंदोलन का स्वरूप देना है। पार्टी ने यात्रा के साथ कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाने की बात कही है।

यात्रा के ऐलान के बाद डॉ. सतीश पूनियां पंजाब के अलग-अलग क्षेत्रों में संगठन को सक्रिय करने में जुटे हैं। अबोहर और फाजिल्का के बाद पठानकोट क्षेत्र में वे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर यात्रा की तैयारियों का फीडबैक ले रहे हैं। साथ ही आमजन से भी यात्रा में भागीदारी की अपील कर रहे हैं। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सरदार केवल सिंह ढिल्लों भी संगठनात्मक तैयारियों में जुटे हैं।

जयपुर में एएचपीआई नेशनल लीडरशिप समिट 18 व 19 को

जयपुर। एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स इंडिया यानी एएचपीआई की ओर से 18-19 सितंबर को जयपुर के होटल मैरियट में चौथाएएचपीआई नेशनल लीडरशिप समिट 2026 आयोजित किया जाएगा।

दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की थीमसस्टेनेबल हेल्थकेयर लीडरशिप:- बैलेंसिंग क्वालिटी, कॉस्ट एंड ट्रस्टरखी गई है। सम्मेलन में देशभर के स्वास्थ्य नीति-निर्माता, अस्पताल प्रमुख, चिकित्सक, नर्सिंग लीडर्स, स्वास्थ्य प्रशासक और उद्योग विशेषज्ञ शामिल होंगे।

सम्मेलन में बढ़ती स्वास्थ्य लागत, कुशल मानव संसाधन की कमी, तेजी से बदलती तकनीक, मरीजों की बढ़ती अपेक्षाओं और स्वास्थ्य संस्थानों के प्रति विश्वास बनाए रखने जैसी प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा होगी।

आयोजन समिति के चेयरमैन डॉ. विकास स्वर्णकार ने कहा कि स्वास्थ्य नेतृत्व केवल संस्थान के विस्तार तक सीमित नहीं रह सकता। गुणवत्तापूर्ण

> **सम्मेलन में बढ़ती स्वास्थ्य लागत, कुशल मानव संसाधन की कमी, तेजी से बदलती तकनीक, मरीजों की बढ़ती अपेक्षाओं व संस्थानों के प्रति विश्वास बनाए रखने जैसी चुनौतियों पर चर्चा होगी**

इलाज के साथ उसे वहनीय बनाए रखना और मरीजों का विश्वास कायम रखना भी जरूरी है।

18 सितंबर को उद्घाटन सत्र में नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन डॉ. अभिजात शेठ मुख्य अतिथि होंगे। राजस्थान की प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा, गायत्री राठौड़ विशिष्ट अतिथि होंगी। आईएमए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राजस्थान हॉस्पिटल्स के चेयरमैन डॉ. एस.एस. अग्रवाल तथा एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी विशेष अतिथि होंगे।

समिट मेंह्यूमन रिसोर्सेज, बिजनेस एवं वैल्यू सस्टेनेबिलिटी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, डिजिटल लीडरशिप एवं इनोवेशन, मरीजों के विश्वास और करुणा तथा लीडरशिप डेवलपमेंटजैसे विषयों पर सत्र होंगे। डिजिटल हेल्थ सत्र में एबीडीएम, एनएचसीएक्स, इंटरऑपरेबिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सुरक्षा पर चर्चा होगी।

19 सितंबर को समापन सत्र भारत की दीर्घकालीन स्वास्थ्य दृष्टि पर केंद्रित होगा। राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास मुख्य अतिथि होंगे, जबकि नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉ. वी.के. पॉलविजन फॉर विकसित भारत 2047विषय पर संबोधन देंगे।

समिट में देश के कई प्रमुख स्वास्थ्य विशेषज्ञ भाग लेंगे। 18 सितंबर की शामएएचपीआई लीडरशिप अवॉर्ड्स 2